तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/6/19	वुकलाय फरीकैन उपस्थित। वास्ते बहस प्रा. पत्र 40 7 R 11 CPC पत्रावली दिनांक 17/6/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)	
17/6/19	वुकलाय फरीकैन उपस्थित। वास्ते बहस प्रा. पत्र, तनकी, जवाब मय पत्रावली दिनांक 15/7/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)	
15/07/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित। एस.डी. ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। भ्रमण पर है। मिसल गत आदेशानुसार दिनांक 02/08/19 को पेश हो। बहस प्रा. पत्र उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)	
02/08/19	वुकलाय फरीकैन उपस्थित। प्रा. पत्र 40 7 R 11 CPC की बहस सुनी गयी। वास्ते निर्णय प्रा. पत्र पत्रावली दिनांक 09/08/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)	
09/08/19	वुकलाय फरीकैन उपस्थित। प्रा. पत्र 40 7 R 11 CPC स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। (रेनू मीणा) उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर	

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 74/2016

घासीराम बनाम गणेशाराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व राजस्व रिकार्ड
संशोधन धारा 88, 188 रा0का0अ0 1955 व धारा 136 भू0 राजस्व
अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0

उपस्थित अधिवक्ता

श्री राजकुमार शर्मा – वादी
श्री विधाधर सुण्डा – प्रार्थी/प्रतिवादी

आदेश दिनांकः– 09.08.2019

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश हुई। प्रतिवादी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी ने आवेदक प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत दावा कृषि भूमि पुराना खसरा नं. 152, 216, 219, 44, 217, 141/1, 193 नवीन खसरा नम्बर 274, 367, 372, 169, 371, 241, 267, 193 तन हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर में अपने खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा हुक्मइतनाई व इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया है जो जैर तकमील है। वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के कब्जे, काश्त व खातेदारी की पैतृक कृषि भूमियां है जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपर्वूक काबिज काश्त करते आ रहे है व वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के कब्जे, काश्त व राजस्व अभिलेख में खातेदारी में दर्ज कृषि भूमियां है।

वादग्रस्त कृषि भूमियों के संबंध में पूर्व में अदालत उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के समक्ष राजस्व वाद जैरकार होकर दिनांक 25.05.2016 को दावा खारिज होने पर अदालत राजस्व अपील अधिकारी, सीकर समक्ष अपील संख्या 63/2015 उनवानी भगवानाराम बनाम गणेशाराम आदि व अपील गणेशाराम बनाम बिरजूराम आदि अपील 73/2015 प्रस्तुत होने पर विधिवत् दोनों अपीलों का निर्णय दिनांक 05.09.2016 को निर्णय किया गया है। उक्त निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की पैतृक कृषि भूमियां होना व उनके खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा कर अपील स्वीकार की गई है उक्त निर्णय व डिकी अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 707 दिनांक 14.10.2016 दर्ज किया गया है। राजस्व अपील अधिकारी, सीकर का निर्णय दिनांक 05.09.2016 यथावत जारी है जो समक्ष न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है इसलिए अदालत हाजा को प्रस्तुत का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 26 स्व. कानाराम के वारिसान नहीं है स्व. कानाराम नाऔलाद फौत हुआ है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 26 ने स्व. कानाराम के फर्जी वारिसान बनकर अदालत हाजा में मनगढ़त व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर दावा महज प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमियां वादी व प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 26 की पैतृक कृषि भूमियां नहीं है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 26 स्व. कानाराम के वारिसान नहीं होने के कारण उक्त सम्पत्ति के कोपारजनर नहीं है जिन्हें हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 संशोधन 2005 की धारा 6 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार के हक व हिस्सा प्राप्त करने के कानूनी हकदार नहीं है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत दावा में चाही गई सहायता बार वार्ड लॉ होने से प्रस्तुत दावा का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को नहीं है इसलिए दावा कानूनन काबिजे खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त उनवानी दावा अदालत हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण खारीज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

जवाब प्रार्थना पत्र में वादी ने दर्ज किया कि यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के कब्जे काश्त की है बल्कि वादी के नाना की भूमि है वर्तमान खातेदारी वाद दायरी के बाद कोई परिवर्तन हुआ है तो वह वादी के अधिकारों के प्रति अप्रभावी है। उक्त वर्णित वाद माननीय न्यायालय में जैरकार होना तथा उक्त वाद राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना तथा उसका फैसला होने का कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है राजस्व अभिलेख प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के नाम होने का तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। तथा नामान्तकरण संख्या 707 भरे जाने का कथन भी जानकारी के अभाव में अस्वीकार है उक्त वाद पत्र एवं अपील में वादी ना तो पक्षकार था ना ही वादी को पक्षकार बनाया गया ना ही वादी को जानकारी थी यह कहना गलत है कि अदालत हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है।

यह कहना गलत है कि वादी स्व. कानाराम के वारीश न हो बल्कि वादी स्व. कानाराम का दोहिता है तथा वादी की माता इन्द्रादेवी स्व. कानाराम की पुत्री है यह कहना भी गलत है कि स्व. कानाराम लाऔलाद फोत हो गया हो बल्कि कानाराम के कुल 6 पुत्रीयां व 1 पुत्र कुल 7 औलाद थी यह कहना गलत है कि वादी कोपार्शनर नहीं हो बल्कि वादी स्व. कानाराम का कोपार्शनर है यह कहना गलत है कि वाद पत्र बॉड बाई लॉ हो तो यह कहना गलत है कि दावा काबिले खारिज हो बल्कि दावा डिकी किये जाने योग्य है। अतः जवाब आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का आवेदन मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाने की कृपा करें।

बहस प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये। वाद वादीनी इस न्यायालय के श्रवणाधिकार के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत कथन किये गये। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने रूलिंग 2012(1) आरजेटी 387, 2008(2)आरएचडब्ल्यू 1390(राज) एवं आरआरटी 2019(1) राज की प्रति पेश की।

बहस प्रार्थना पत्र में वकील वादी ने जवाब आवेदन के अनुरूप कथन किया। प्रतिवादी की ओर से इस न्यायालय को हस्तगत वाद की सुनवाई का अधिकार नहीं होने का जो कथन किया है वह गलत है। आवेदन प्रतिवादीगण खारिज किये जाने बाबत कथन किये गये। वकील वादी ने रूलिंग 2012(4) आरएलडब्ल्यू 3401, 2012(4)आरएलडब्ल्यू 3371 एवं 2013(2)आरआरटी 1248, 2015(2) आरआरटी 1396, 2016(1) आरआरटी 608, 2009(2) आरआरटी 882, 2007(2) आरआरटी 1236 तथा 2006(1) आरआरटी 53 की प्रति पेश की।

हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। बहस वकुलाय फरीकेन पर मनन किया। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी (बी) जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। इस न्यायालय में इन्हीं खसरों का वाद जैरकार होकर दिनांक 25.05.2016 को खारिज होने पर राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष अपील संख्या 63/2015 उनवानी भगवानाराम बनाम गणेशाराम आदि व अपील गणेशाराम बनाम बिरजूराम आदि अपील 73/2015 प्रस्तुत होने पर विधिवत् दोनों अपीलों का निर्णय दिनांक 05.09.2016 को निर्णय दिया गया कि कानाराम नाऔलाद फौत हुआ है। जिसका नामान्तकरण संख्या 707 दिनांक 14.10.2016 को दर्ज हो चुका है। राजस्व अपील अधिकारी सीकर का निर्णय यथावत जारी है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा को उक्त प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है। जब कानाराम नाऔलाद फौत माना गया है तो हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 संशोधन 2005 की धारा 6 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार के हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(बी) जा0 दी0 वाद किसी विधि द्वारा वर्जित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(बी) जा0 दी0 वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है को स्वीकार करते हुए दावा वादी खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(रेनू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

प्रपत्र–2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सचिव सहायक कलक्टर, फतेहपुर

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत /कैम्प कोर्ट)

नोटिस लोक अदालत / कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत

कैम्प कोर्ट का स्थान :– अटल सेवा केन्द्र गारिण्डा

उनवान मुकदमा

घासीराम बनाम गणेशाराम आदि

प्रकरण संख्या :– 74/2016 व 42/2016
तारीख पेशी :– 19.05.2017 समयः– प्रातः 10.00 बजे

स्थल जहॉ उपस्थित होना हैः– अटल सेवा केन्द्र गारिण्डा

महोदय/महोदया,

श्री शंकर पुत्र सुखदेव पुत्र धापू पुत्री रूड़ाराम जाति जाट निवासी बीबीपुर बड़ा तह. फतेहपुर जिला सीकर राज.

उक्त उनवानी प्रकरण उक्त वर्णित समय, दिनांक व स्थल पर सुनवाई हेतु रखा गया है। उक्तानुसार लोक अदालत / कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर राजीनामा, सद्भाव व मेलजोल से उक्त राजस्व प्रकरण को निर्णित कराने के लिए इस शुभ अवसर का लाभ उठावें। हो सकता है यह अवसर आपकी मानसिक पीड़ा का निवारक साबित हो। अगर आप अन्य कोई राय रखते है तो भी उपस्थित होकर तद्नुसार अवगत करवायें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

दिनांक :

( )
पीठासीन अधिकारी

श्रीमान जी नायक घर पर मौजूद नहीं मिले परिवार वालों ने तामील लेने से मना किया लेकिन नायक के आवासीय मकान पर चस्पा की गई मौहल्ले वालों ने हस्ताक्षर करने से मना किया

रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित

[signature]

प्रपत्र–2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सचिव सहायक कलक्टर, फतेहपुर

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत /कैम्प कोर्ट)

नोटिस लोक अदालत / कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत

कैम्प कोर्ट का स्थान :– अटल सेवा केन्द्र गारिण्डा

उनवान मुकदमा

घासीराम बनाम गणेशाराम आदि

प्रकरण संख्या :– 74/2016 व 42/2016
तारीख पेशी :– 19.05.2017 समयः– प्रातः 10.00 बजे

स्थल जहॉ उपस्थित होना हैः– अटल सेवा केन्द्र गारिण्डा

महोदय/महोदया,

श्री मुकेश पुत्र सुखदेव पुत्र धापू पुत्री रूड़ाराम जाति जाट निवासी बीबीपुर बड़ा तह. फतेहपुर जिला सीकर राज.

उक्त उनवानी प्रकरण उक्त वर्णित समय, दिनांक व स्थल पर सुनवाई हेतु रखा गया है। उक्तानुसार लोक अदालत / कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर राजीनामा, सद्भाव व मेलजोल से उक्त राजस्व प्रकरण को निर्णित कराने के लिए इस शुभ अवसर का लाभ उठावें। हो सकता है यह अवसर आपकी मानसिक पीड़ा का निवारक साबित हो। अगर आप अन्य कोई राय रखते है तो भी उपस्थित होकर तद्नुसार अवगत करवायें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

दिनांक :

( )
पीठासीन अधिकारी

प्रपत्र–2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सचिव सहायक कलक्टर, फतेहपुर

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत /कैम्प कोर्ट)

नोटिस लोक अदालत / कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत

कैम्प कोर्ट का स्थान :– अटल सेवा केन्द्र गारिण्डा

उनवान मुकदमा

घासीराम बनाम गणेशाराम आदि

प्रकरण संख्या :– 74/2016 व 42/2016

तारीख पेशी :– 19.05.2017

समयः– प्रातः 10.00 बजे

स्थल जहॉ उपस्थित होना हैः– अटल सेवा केन्द्र गारिण्डा

महोदय/महोदया,

श्री कन्हैयालाल पुत्र जगमाल पुत्र धापू पुत्री रूड़ाराम जाति जाट निवासी बीबीपुर बड़ा तह. फतेहपुर जिला सीकर राज.

उक्त उनवानी प्रकरण उक्त वर्णित समय, दिनांक व स्थल पर सुनवाई हेतु रखा गया है। उक्तानुसार लोक अदालत / कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर राजीनामा, सद्भाव व मेलजोल से उक्त राजस्व प्रकरण को निर्णित कराने के लिए इस शुभ अवसर का लाभ उठावें। हो सकता है यह अवसर आपकी मानसिक पीड़ा का निवारक साबित हो। अगर आप अन्य कोई राय रखते है तो भी उपस्थित होकर तद्नुसार अवगत करवायें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

दिनांक :

आज्ञा से
रीडर
उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर

( )
पीठासीन अधिकारी

प्रपत्र–2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सचिव सहायक कलक्टर, फतेहपुर

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत /कैम्प कोर्ट)

नोटिस लोक अदालत / कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत

कैम्प कोर्ट का स्थान :– अटल सेवा केन्द्र गारिण्डा

उनवान मुकदमा

घासीराम बनाम गणेशाराम आदि

प्रकरण संख्या :– 74/2016 व 42/2016
तारीख पेशी :– 19.05.2017

समयः– प्रातः 10.00 बजे

स्थल जहॉ उपस्थित होना हैः– अटल सेवा केन्द्र गारिण्डा

महोदय/महोदया,

श्री ओमप्रकाश पुत्र जगमाल पुत्र धापू पुत्री रूड़ाराम जाति जाट निवासी बीबीपुर बड़ा तह. फतेहपुर जिला सीकर राज.

उक्त उनवानी प्रकरण उक्त वर्णित समय, दिनांक व स्थल पर सुनवाई हेतु रखा गया है। उक्तानुसार लोक अदालत / कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर राजीनामा, सद्भाव व मेलजोल से उक्त राजस्व प्रकरण को निर्णित कराने के लिए इस शुभ अवसर का लाभ उठावें। हो सकता है यह अवसर आपकी मानसिक पीड़ा का निवारक साबित हो। अगर आप अन्य कोई राय रखते है तो भी उपस्थित होकर तद्नुसार अवगत करवायें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

दिनांक :

( )
पीठासीन अधिकारी